

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री टी एम विनोद उप नि १२३ वर्तमान धारित पर विशाला

2. वर्तमान वेतन 7850/- अगले वेतनवृद्धि का तारीख 25 35 का ५०० 6/9/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	अपे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, चंपक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन का तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिभूयुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. कोटा जिला - कोटा में काला	आवासीय गृह	-	1500000/-	2-वर्ग के नाम से है	विशाला के नाम से है	-	
2. - - - - -		0.30 वर्ग मीटर	2,50000/-	2-वर्ग के नाम से है	गुण विधि मई 2009	-	

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह माहों की अवधि के परचा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अगले नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या चंपक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति का ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 1 ममम
 नाम श्री टी एम विनोद
 पद विशाला